एल० डी० अवशेष जल के उपचार की क्षमता का निर्माण कार्य किया गया है ।

घ. अन्य निर्माण कार्यों के पूरा किए जाने की स्थिति

(i) 370 कि० मी० सीवर लाइन बिछाई गई है ।

(ii) 47,705 पृथक शौचालयों का निर्माण किया गया है ।

(iii) 2757 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया गया है ।

(iv) 29 विद्युत शवदाहगृहों की स्थापना की गई है ।

(v) नदी के किनारे पर 128 घाटों का विकास किया गया ।

Persons Arrested in Connection with Bombay Blast Case

*320. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the total number of persons arrested so far in connection with the chain of bomb blasts in Bombay on 12th March, 1993;

(b) what is the number of alleged accused who are still absconding;

(c) whether it is a fact that the absconders have been identified;

(d) if so, the details of the action being taken to apprehend them; and

(e) what progress has been made in inquiries by various state and central agencies in this regard?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI S. B. CHAVAN): (a) 142

(b) 24

(c) Yes, Sir.

(d) Arrest warrants against all the 24 absconding persons were obtained from the designated Court, constituted under TADA (P) Act, for Greater Bombay. As the warrants could not be executed, the same were returned to the designated Court. The Court has been requested to issue proclamation under Section 82 of the Criminal Procedure Code directing the absconding accused persons to appear before the Court.

(e) The investigations of the bomb blasts cases is being done by the Maharashtra State Police. The State Police is likely to complete the investigation by the end of August, 1993 and file a preliminary charge sheet. The State Police is being assisted by a Task Force comprising of senior officers of the CBI and Central Intelligence agencies, in the investigation. After the State Police files the charge sheet, the CBI will take over the cases and conduct further investigation into the national, international and other ramifications of the crime.

देश में साल वृक्षों के संरक्षण तथा विकास की योजना

2734. **श्री दिलीप सिंह जूदेव** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में साल वृक्षों के संरक्षण तथा विकास हेतु अनुसंधान के संबंध में केन्द्रीय तथा राज्य प्रशासन के स्तर पर किसी निश्चित योजना के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में की जा रही राज्यवार कार्यवाही सहित केन्द्रीय स्तर पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान साल वनों के क्षेत्रफल में राज्यवार लक्षित की गई कमी या वृध्दि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्राकृतिक साल वृक्षों के विकास एवं अनुसंधान के आधार पर प्राप्त की गई उपलब्धियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) पर्यावरण और वन मंत्रालय के स्वायत्त निकाय, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ने साल अनुसंधान संस्थान, बिलासपुर, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के वनवृक्ष-विज्ञानी (सिल्वीकल्चरिस्ट) की सहायता से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में साल वृक्षों की मृत्यु दर पर अनुसंधान शुरू किया है ।

(ग) साल वृक्षों की मृत्यु दर में वृध्दि के कारण साल वनों की सघनता में कहीं-कहीं कमी आई है, जबकि साल वृक्षों का क्षेत्र कुल मिलाकर अपरिवर्तनीय रहा है ।

(घ) अनुसंधान निष्कर्षों के आधार पर बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों को सलाह दी गई है कि वे साल वृक्षों के पुनर्जनन की स्थिति में सुधार के लिए साल वृक्षों वाले क्षेत्रों को मवेशियों की चराई के लिए बन्द कर दें ।

Development Project of Maharashtra Awaiting Clearance.

2735. SHRI SATISH PRADHAN: Will the